न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः जीसीएमएस नं. 2021/11 -

1. झुमा देवी पत्नी मुलचंद सैनी, उम्र 62 वर्ष, जाति माली, निवासी दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान हाल सरपंच ग्राम पंचायत दीपपुरा, पंचायत समिति तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झुन्झुनूं।
3. उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 07.09.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायत दीपपुरा के भवन एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अन्य समस्त राजकीय कार्यालयों हेतु दिनांक 07.09.2020 को भूमि खसरा नम्बर 623/78 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी जो कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटित की गई थी जबकि वस्तुस्थिति यह है कि भूमि खसरा नम्बर 623/78 का सैटलमेंट से पूर्व का खसरा नम्बर 26 मी. था जो सम्वत् 2014 से लेकर संवत् 2033 तक उपरोक्त भूमि पूर्व खसरा नम्बर 26 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा की थी जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी के नाम से दर्ज है जो वर्तमान व प्राचीन में राजस्थान के झुन्झुनूं जिले में बहने वाली कांतली नदी के नाम से विख्यात है। उपरोक्त भूमि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पंचायत मुख्यालय द्वारा आवंटित की गई है। उपरोक्त रिपोर्ट पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 07.09.2020 को अध्यधीन ग्राम दीपपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 623/78 रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में से एक हैक्टेयर भूमि की किस्म खारिज कर नवसृजित ग्राम पंचायत दीपपुरा के भवन एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अन्य समस्त राजकीय कार्यालयों हेतु ग्राम पंचायत दीपपुरा को निःशुल्क आवंटित की गई है जबकि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 विधि विरूद्ध व बिना गुणावगुण के पारित किया गया है क्योंकि जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण का विश्लेषण ही नही किया गया एवं उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जॉच ही नही की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के समक्ष पटवारी हल्का दीपपुरा व तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायत दीपपुरा के भवन निर्माण व अन्य कार्यो हेतु जो भूमि आवंटन बाबत जो रिपोर्ट पेश की गई वह पूर्णतया गलत है क्योंकि उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया गैरमुमकीन नदी की भूमि होना साबित है एवं नदी नाले की भूमि का आवंटन कानूनन नही किया जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त आवंटन पत्र की पांचवी लाईन में जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा यह लिखा गया है कि "आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है व विवाद रहित बताई गई है। उक्तानुसार भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत ककराना की पूर्व ग्राम पंचायत ककराना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है" जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उपरोक्त भूमि मौके पर खाली एवं विवाद रहित है लेकिन उपरोक्त नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित है, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अलग राज्य सरकार द्वारा आवंटित करीब 30–35 लाख रुपये जो पंचयत भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित किये गये है उससे पंचायत मुख्यालय का निर्माण होता है तो भविष्य में भी कभी भी अगर अतिवृष्टि हो गई तब संपूर्ण पंचायत भवन मय रिकार्ड नदी के साथ बह जायेगा, इसलिए जिला कलेक्टर का उपरोक्त आवंटित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश क्रमांक प. 12(3)(45)राज/20/3119 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त फरमाया जाकर जिला कलेक्टर झुन्झुनूं को आदेशित किया जाये कि श्री महेश कुमार पुत्र गुगनराम निवासी दीपपुरा ने भूमि खसरा नम्बर 589/320 रकबा 0.95 में हिस्सा 22/95 दान कर दी है जो ग्राम पंचायत दीपपुरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो चुकी है तथा दान की गई उक्त भूमि पर पंचायत भवन निमार्ण हेतु स्वीकृत प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसर उक्त भूमि वर्तमान में किस्म बारानी अंकित है जो तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है जिसका आवंटन अपीलाधीन आदेश द्वारा किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होन से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम दीपपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

623/78 रकबा 0.87 हैक्टयर का आवंटन पंचायत भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु किया गया है किन्तु तहसीलदार गुढागौड़जी के पत्रांक राजस्व/2022/865 दिनांक 18.08.202 द्वारा जाहिर होता है कि उक्त आवंटित आराजी साबिक खसरा नम्बर 26 से हाल खसरा नम्बर 623/78 बना है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2014–17 में उक्त खसरा नम्बर 26 गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं नदी, नाला की भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन योग्य भूमि नही है किन्तु उक्त समस्त तथ्य अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष उपलब्ध नही आये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12(3)(45)राज/20/3119 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/11/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।